मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक एफ 1-1/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 10 फरवरी, 2009

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव शासकीय विभाग
समस्त प्रबंध संचालक
सार्वजनिक उपक्रम
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/मण्डलों/निगमों/विकास प्राधिकरणों में वेतनमानों का पुनरीक्षण/भत्तों/सुविधाओं का निर्धारण ।

--00--

कृपया सार्वजनिक उपक्रम विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-6-2/44/98 दिनांक 29-4-98/30-4-98 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 6-2/44/98 दिनांक 3-10-98 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें । इन परिपत्रों में उल्लेख है कि जिस बैठक में वेतनमान देने का निर्णय लिया जावेगा उसमें वित्त विभाग का प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित होना चाहिये तथा संचालक मण्डल में भिन्न मत होने पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जावेगा ।

2/ अतः सार्वजनिक उपक्रम/मण्डल/निगम/विकास प्राधिकरणों के संचालक मण्डलों द्वारा वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सुविधायें जिनमें वित्तीय भार निहित है, पुनरीक्षण/निर्धारण के समय उक्तनुसार निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से कराया जाय ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ /2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2009

प्रतिलिपिः

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

http/WWW.MP.NIC.FINANCE.IN.COM.

मध्यप्रदेश शासन
सार्वजनिक उपक्रम विभाग

क्रमांक एफ 6-2-/44/98

भोपाल, दिनांक 29-4-98/
30-4-98

प्रति,

प्रबंध संचालक
समस्त सार्वजनिक उपक्रम (संलग्न सूची के अनुसार)
मध्यप्रदेश भोपाल.

विषय.—सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण.

सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में राज्य शासन ने विचार के उपरांत निर्णय लिया है कि नवीन वेतनमान लागू करने का निर्णय पूर्णत: संबंधित उपक्रमों की वित्तीय स्थिति पर निर्भर होगा एवं उपक्रमों के स्वयं के संसाधनों (वर्तमान में भी एवं भविष्य में भी) से वहन किया जायेगा. प्रत्येक उपक्रम का संचालक मण्डल उत्पादकता एवं वित्तीय क्षमता का सम्यक ध्यान रखते हुए अपने-अपने उपक्रम विभिन्न वेतनमानों के पुनरीक्षण, देय तिथि, एवं वेतन निर्धारण सूत्र के बारे में निर्णय लेंगे, तथा जिस बैठक में यह निर्णय लिया जावेगा उसमें वित्त विभाग का प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित होना चाहिए और उनके सुझाव के अनुरूप ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा. नए वेतनमानों के लागू होने के फलस्वरूप सार्वजनिक उपक्रम द्वारा वर्तमान में राज्य शासन को प्रतिवर्ष दिया जा रहा लाभांश (dividend) भी यथावत रहेगा. उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन करने में यदि कोई कठिनाई, विसंगति किसी उपक्रम में दृष्टिगत हो तो उसके बारे में प्रशासकीय विभाग के माध्यम से इस विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एम. के. सपरा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 6-2/44/98

भोपाल, दिनांक 29-4-98/
30-4-48

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल.
2. शासन के समस्त संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. के. सपरा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग.

महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश शासन
सार्वजनिक उपक्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 6-2-/44/98 भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर, 1998

प्रति,

प्रबंध संचालक
समस्त सार्वजनिक उपक्रम (संलग्न सूची के अनुसार)
मध्यप्रदेश भोपाल.

विषय.—सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण.

संदर्भ.—विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 29-4-98

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित आदेश जारी किया जाता है.

1. प्रत्येक उपक्रम का संचालक मण्डल, उपक्रम की उत्पादकता एवं वित्तीय क्षमता का सम्यक आंकलन कर लाभ की स्थिति में अपने-अपने उपक्रम में वेतनमानों के पुनरीक्षण, देय तिथि, वेतननिर्धारण सूत्र तथा महंगाई भत्ते के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होगा. संचालक मण्डल की जिस बैठक में वेतनमान देने का निर्णय लिया जाएगा उसमें वित्त विभाग का प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगा. संचालक मण्डल के निर्णय उपरांत प्रकरण वित्त विभाग को नहीं भेजा जाएगा. परन्तु किसी विशिष्ट उपक्रम के संचालक मण्डल में भिन्न मत होने पर यदि पूर्ण प्रयास के उपरांत भी निर्णय में मत भिन्नता रहे तो इसे राज्य शासन को भेजकर शीघ्र अंतिम निर्णय प्राप्त कर लिया जावेगा.

2. नए वेतनमान तभी स्वीकृत किए जायेंगे जब उपक्रम संचित लाभ की स्थिति में हो तथा वेतनमान देने के बाद भी लाभ की स्थिति में रहे. नए वेतनमान स्वीकृत होने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति उपक्रम अपने संसाधनों (वर्तमान में एवं भविष्य में भी) से करेगा. राज्य शासन द्वारा इस संबंध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी. नए वेतनमानों के कारण उपक्रम की विकासात्मक एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा. नए वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप सार्वाजनिक उपक्रम द्वारा वर्तमान में राज्य शासन को प्रतिवर्ष दिया जा रहा लाभांश यथावत रहेगा. उपक्रम वित्तीय रूप से सक्षम एवं लाभ की स्थिति में है तथा नए वेतनमान देने के बाद भी लाभ में रहेगा, इस तथ्य की पुष्टि का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से उपक्रम के प्रबंध संचालक का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एम. के. सपरा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक एफ. 6-2/44/98 भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर, 1998

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल.
2. समस्त संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. के. सपरा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग.